

**कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा**  
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

क्रमांक / के.वी.के. / दौसा / 2018 / 111

दिनांक 04.08.2018

**अल्पकालीन सीमित निविदा सूचना**

इस केन्द्र के फार्म पर विभिन्न कार्यों के लिए श्रमिक, चौकीदार आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित पंजीकृत प्लेसमेंट एजेन्सियों से सीलबन्द दो लिफाफों में पद्धति अनुसार दिनांक 13.08.2018 को दोपहर 11.00 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की जाती है जो क्रय समिति द्वारा निविदाएं दिनांक 13.08.2018 को कार्यालय कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा में दोपहर 1.00 बजे खोली जावेगी।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनु.लागत Rs (Lakhs)	कार्य समय सीमा
1	फार्म पर विभिन्न कार्यों के लिए अकुशल श्रमिक आपूर्ति	1.95	31.03.2019

1. निविदा फार्म कार्यालय से प्राप्त कर सकते है एवं कार्यालय में जमा करवाना होगा।
2. नियम व शर्तें फार्म के साथ रहेगे।
3. अपलोड निविदा फार्म भरने पर फार्म कार्यालय में जमा करवाना होगा।



कार्यक्रम समन्वयक

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. श्रीमान निदेशक प्रसार शिक्षा, जोबनेर
2. सीमका ईचार्ज श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं sppp portal पर अपलोड करने का श्रम करावे।
3. सूचना पट्ट कार्यालय
4. आरक्षित प्रति



कार्यक्रम समन्वयक

कृषि विज्ञान केन्द्र दौसा (लिफाफा नं. 1 में रखे)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

श्रमिक अकुशल आपूर्ति

तकनीकी निविदा प्रपत्र

निविदाताफर्म का नाम व पता मय दूरभाष :- .....

1. जी.एस.टी. नं. (छाया प्रति संलग्न करे)
2. आवश्यकतानुसार श्रमिक सप्लाई करना होगा।
3. शर्तों पर सहमति हेतु हस्ताक्षर मय सील।
4. निविदादाता के पास श्रमिक आपूर्ति का केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
5. सफल निविदादाता को रूपये 500/- के नान ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध पत्र करना होगा।
6. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।
7. निविदा सीलबंद लिफाफे में बन्द कर जमा की जावेगी, तथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में स्वीकार किया जावेगा।
8. श्रमिकों को कृषि कार्य हेतु जैसे निराई/गुडाई/कटाई/सिंचाई/दवाईयों का छिडकाव/थ्रेसिंग कार्य/नर्सरी कार्य हेतु लगाया जा सकता है।
9. बिल का भुगतान माह पूरा होने के पश्चात कोष कार्यालय जोबनेर के पास होने के बाद किया जावेगा।
10. निविदा दिनांक 13.08.2018 को दोपहर 1.00 बजे क्रय समिति द्वारा खोली जावेगी।
11. किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र दौसा रहेगा।
12. Registration of Labour Department (Photo Copy)
13. Registration of GST, ESI & epf (Photo Copy)
14. PAN No ----- (Photo Copy)
15. तकनीकी बिड (लिफाफा नं.1) पूर्ण होने पर ही निविदादाता का लिफाफा नं.2 वित्तीय बिड खोला जावेगा।

**कृषि विज्ञान केन्द्र दौसा** (लिफाफा नं. 1 में रखे)  
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

**निविदा प्रपत्र**

इस केन्द्र के फार्म पर विभिन्न कार्यों के लिए अकुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा।

क्र.सं.	कार्य का विवरण
1	योजना का नाम:- कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा के परिसर पर अकुशल श्रमिक
2	बजट मद :- के. वी. के. दौसा
3	कार्य की अनुमानित अवधि :- 16.08.2018 से 30.03.2019
4	निविदा संदर्भ :- फार्म पर विभिन्न कार्यों के लिए अकुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा।
5	निविदा प्रपत्र :- एक
6	निविदा प्राप्त करने का समय व दिनांक :- कार्यालय कार्य दिवस में सुबह 10.00 बजे सायं 5.00 बजे तक
7	निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि के 11.00 बजे तक
8	निविदा खोलने की तिथि दोपहर 1.00 बजे
9	निविदा खोलने का स्थान कृषि विज्ञान केन्द्र दौसा
10	पत्र व्यवहार हेतु पता कृषि विज्ञान केन्द्र दौसा
11	फर्म द्वारा घोषणा की फर्म काली सूची में नहीं है।
12	दरे प्रपत्र-2 में दर्शाई गई तालिका में लिफाफा नं.2 वित्तीय निविदा में देनी है।

वित्तीय वर्ष 2018.19 में विभिन्न कृषि कार्यों हेतु अकुशल श्रमिक, चौकीदार आपूर्ति हेतु निविदा।

1. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार किया जावेगा। संलग्न लिफाफा नं.1 में रखे।

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970				ऐच्छिक
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर जी.एस.टी.				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर  
तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर

कृषि विज्ञान केन्द्र दौसा (लिफाफा नं. 2 में रखे)  
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

वित्तीय निविदा प्रपत्र

(II) अकुशल श्रमिक चौकीदार सहित आपूर्ति के उपापन के लिए निविदा में दरे निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी

क्र.सं.	कार्य की प्रकृति	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी मय संख्या		सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत 13%	ESI दर प्रतिशत (4.75%)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
		कार्य हेतु आवश्यक मानक के साधन की अनुमानि व संख्या	न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अकुशल श्रमिक चौकीदार सहित	अकुशल श्रमिक चौकीदार सहित	213/-		27.69	10.12		

ESI दर यदि दौसा में देय है तो उपापन संस्था द्वारा दिया जायेगा।

NOTE : GST दर नियमानुसार पृथक से देय होगी।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर  
तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर


निविदा की शर्तें :-

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रिय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
2. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 अथवा अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन, कर्मचारी भविष्य अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग हेतु अर्हत होंगे। पंजीकृत प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
3. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
4. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
5. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी में श्रम विभाग कर अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
6. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा। जिसमें श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जा सकेगा।
7. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर **Display Boards** लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु **Helpline** नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धि प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
8. राज्य में लूग श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों को नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
9. संवेदक द्वारा श्रमिकों के देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारागत माह में जमा कराये गये एवं वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

10. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामो/दायित्वो के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
11. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन कराने के लिए उत्तरदायी होगा।
12. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने कार्यमुक्त करने नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
13. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य संबंध/संदर्भ में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.आई.एस. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
14. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को **Debar** कराने की कार्यवाही होगी।
15. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त राशि न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए सकद किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृत प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
16. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।
17. प्रस्तावित निविदा फार्म मुहरबंद में प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान केन्द्र दौसा को लिफाफे के ऊपर निविदा "कार्य अनुबन्ध" लिखकर प्रस्तुत करना होगा। निविदा फार्म निविदा की दरो में किसी भी प्रकार कांट-छांट स्वीकृत नहीं की जायेगी।
18. निविदादाता (ठेकेदार) निविदा फार्म प्रस्तुत करने से पूर्व समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करे एवं समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करे। इस कार्य की अनुमानित लागत 1.95 लाख रुपये है।
19. निविदादाता के पास श्रमिक आपूर्ति का लाईसेंस होना आवश्यक है जो निविदा फार्म के साथ प्रस्तुत करना होगा बिना लाईसेंस के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
20. निविदादाता को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक श्रमिकों का भुगतान करना होगा चाहे बिलो का भुगतान प्राप्त किया हो या नहीं। ठेके अधीन कार्यरत श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम दरो (वेतन) से कम भुगतान नहीं करना होगा।
21. अनुबन्ध की अवधि आदेश की तारीख से 31.03.2019 तक के लिए मान्य होगी।
22. किसी भी नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु) व 55 साल से ज्यादा आयु एवं कार्य करने असक्षम व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जायेगा।

23. निविदादाता द्वारा लगाये गये श्रमिकों को सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य सम्पादित करना होगा। श्रमिकों का व्यवहार एवं कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर तुरंत प्रभाव से हटाना होगा।
24. निविदादाता को अपना आई.डी.पूफ व मोबाईल नम्बर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
25. विभिन्न कार्यों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार फर्म ईन्चार्ज/फर्म मैनेजर या प्रभारी अधिकारी द्वारा मनोनीत व्यक्ति तय करेंगे और उसी आधार पर ठेकेदार द्वारा श्रमिक उपलब्ध करा कर कार्य का निष्पादन कराया जायेगा। ठेकेदार को रात्री में फसलो की सिचाई व अन्य कार्य जैसे चौकीदारी आदि केवल पुरुष श्रमिकों से ही करवाना होगा।
26. निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को कार्यालय समय में कृषि विज्ञान केन्द्र दौसा में उपस्थित रहना होगा। कृषि विज्ञान केन्द्र दौसा में प्रतिदिन चाहने वाले श्रमिकों की संख्या व दिनांक कृषि विज्ञान केन्द्र दौसा के सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा फार्म पर उपलब्ध रजिस्टर में दर्ज कार्य अनुसार निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होने व रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करने होंगे।
27. भुगतान केवल किये गये कार्य का ही किया जायेगा तथा किसी भी कार्य के लिए कोई अग्रिम राशि नहीं दी जायेगी। कार्य की आवश्यकता को मध्येनजर रखते हुए कार्य की समय अवधि घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
28. यदि निविदादाता (ठेकेदार) द्वारा समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं कराये गये तो कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर ठेकेदार की दर से दो गुणा तक श्रमिक लगा कर पूर्ण कार्य करा लेंगे जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा वहन करनी होगी। समय पर कार्य सम्पादन न कराने श्रमिक उपलब्ध न कराने व निविदा शर्तों को न मानने पर ठेकेदार को भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा।
29. यदि निविदादाता अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोड़ता है तो उसके द्वारा जमा अमानत राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
30. निविदादाता को यथासंभव पूर्व में ही कार्य हेतु दिन व समय बता दिया जायेगा फिर भी दिन व समय प्रकृति पर निर्भर करेगा जिसके लिए निविदादाता को तुरंत श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी। निविदादाता द्वारा समय पर कार्य नहीं किये जाने स्थिति में जो भी हानि होगी वह निविदादाता को वहन करनी होगी। निविदादाता यदि कृषि, प्रायोगिक कार्य, चौकीदार आदि कार्यों की महत्ता एवं गुणवत्तानुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है या कार्य अधूरा छोड़ता है तो कृषि विज्ञान केन्द्र दौसा उन शेष कार्यों को अपनी जिम्मेदारी से पूर्ण करायेगे जिसका भुगतान निविदादाता को वहन करनी होगी। इस प्रकार की प्रवृत्ति की यदि 3 बार पुनरावृत्ति होती है तो कृषि विज्ञान केन्द्र दौसा को निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा व ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा।
31. सफल निविदादाता को उपरोक्त सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने संबंधी एक अनुबंध पत्र 500/- रुपये का नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर ठेकेदार द्वारा भरना अनिवार्य होगा।
32. निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कृषि विज्ञान केन्द्र दौसा को होगा।

उक्त निविदा की शर्तों को मैंने भली भाँति पढ़ लिया है और समझ लिया है मैं इनसे सहमत हूँ और इनका पालन करूँगा।



कार्यक्रम समन्वयक  
कृषि विज्ञान केन्द्र दौसा

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर  
तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर